भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2321

16 मार्च, 2022 के लिए प्रश्न

राशन का वितरण

2321. श्री राजू बिष्ट:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वर्ष 2020 से अब तक वितरित किए गए राशन में राज्य और केंद्र सरकारों के अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत पश्चिम बंगाल को मई 2020 से अब तक आवंटित राशन का ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल में, विशेषकर दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर जिले में, पीएमजीकेवाई राशन योजना तहत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संपरीक्षा की है या करने का प्रस्ताव है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न, चावल/गेहूं/मोटे अनाज अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्य पर क्रमश: 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जाते हैं। राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भी इसी मूल्य पर लाभार्थियों को इन खाद्यान्नों का वितरण करे। इस प्रकार, केन्द्र सरकार द्वारा संपूर्ण (100%) राजसहायता का बोझ वहन किया जाता है।

.....2/-

(ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) स्कीम के तहत मई, 2020 से मार्च, 2022 तक पश्चिम बंगाल को कुल लगभग 54 लाख टन खाद्यान्न (अर्थात चावल और गेहूं) आवंटित किए गए हैं।

(ग): दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और नॉर्थ दीनाजपुर जिलों सहित पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों की कुल संख्या 601.84 लाख है, जिन्हें पीएमजीकेएवाई के तहत राशन आवंटित किया गया है।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करने के लिए और लक्षित लाभार्थियों के बीच इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में एनएफएसए का समवर्ती मूल्यांकन करने हेतु मॉनिटरिंग संस्थान (एमआई) के रूप में कोलकाता विश्वविद्यालय का चयन किया है।

******